

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 231
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर

*231. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 2018 के दौरान देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए 180 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गुजरात सहित राज्य-वार आज की तारीख तक स्थापित उपर्युक्त केंद्रों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या उपर्युक्त केंद्रों में महिलाओं को कोई विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और
- (घ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

‘वन स्टॉप सेंटरविषय पर श्री नारणभाई काछड़िया और श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्याइ231 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : निर्भया निधि के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर स्कीम 01 अप्रैल 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2018 के दौरान अर्थात् 01.01.2018 से 31.12.2018 के अवधि बीच देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 483 ओएससी के गठन के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अब तक की स्थिति के अनुसार देश के 724 जिलों में कुल 728 ओएससी अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 680 ओएससी अब तक क्रियाशील हो चुके हैं।

इन ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे चिकित्सा सहायता , पुलिस सहायता , मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी परामर्श तथा अस्थायी आश्रय सहित तत्काल , आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना है। अब तक स्थापित ओएससी केंद्रों की संख्या तथा गुजरात सहित लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

‘वन स्टॉप सेंटर’विषय पर श्री नारणभाई काछड़िया और श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2281 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

अब तक स्थापित वन स्टॉप सेंटर की संख्या तथा लाभान्वित महिलाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जिलों की कुल संख्या | स्वीकृत वन स्टॉप सेंटरों की सं. | क्रियाशील वन स्टॉप सेंटरों की सं. | मामलों की कुल संख्या |
|---------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 3 | 3 | 3 | 1314 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 13 | 14 | 13 | 22377 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 25 | 25 | 24 | 545 |
| 4 | असम | 33 | 33 | 31 | 1885 |
| 5 | बिहार | 38 | 38 | 38 | 5990 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 1 | 541 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 27 | 27 | 27 | 17465 |
| 8 | दादर व नगर हवेली और दमन व दीव | 3 | 3 | 3 | 339 |
| 9 | गोवा | 2 | 2 | 2 | 1210 |
| 10 | गुजरात | 33 | 33 | 33 | 6133 |
| 11 | हरियाणा | 22 | 22 | 22 | 5622 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 | 12 | 193 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 20 | 20 | 7 | 1752 |
| 14 | झारखंड | 24 | 24 | 24 | 403 |
| 15 | कर्नाटक | 30 | 30 | 30 | 2539 |
| 16 | केरल | 14 | 14 | 14 | 2494 |
| 17 | लद्दाख | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 18 | लक्षद्वीप | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 51 | 51 | 51 | 15024 |
| 20 | महाराष्ट्र | 36 | 37 | 37 | 5682 |
| 21 | मणिपुर | 16 | 16 | 16 | 76 |
| 22 | मेघालय | 11 | 11 | 11 | 158 |
| 23 | मिजोरम | 8 | 8 | 8 | 254 |
| 24 | नागालैंड | 11 | 11 | 11 | 338 |
| 25 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 11 | 11 | 11 | 82 |
| 26 | ओडिशा | 30 | 30 | 30 | 2937 |
| 27 | पुदुचेरी | 4 | 4 | 4 | 190 |
| 28 | पंजाब | 22 | 22 | 22 | 2826 |
| 29 | राजस्थान | 33 | 33 | 33 | 7946 |
| 30 | सिक्किम | 4 | 4 | 1 | 565 |
| 31 | तमिलनाडु | 32 | 34 | 32 | 3984 |
| 32 | तेलंगाना | 33 | 33 | 32 | 8856 |
| 33 | त्रिपुरा | 8 | 8 | 8 | 94 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 75 | 75 | 75 | 133801 |
| 35 | उत्तराखंड | 13 | 13 | 13 | 2216 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 23 | 23 | 0 | 0 |
| | कुल | 724 | 728 | 680 | 255852 |